न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 24/2017

दर्ज दिनांकः 03/04/2017

निर्णय दिनांक :16/11/2017

1. भूरी देवी पत्नि राधेश्याम जाति रैगर निवासीः गोपालपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

2. रामगोपाल पुत्र मांग्या जाति रैगर निवासीः गोपालपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

---वादीगण

बनाम

1. नन्दू देवी धर्मपत्नि फूलचन्द जाति रैगर निवासीः नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

2. सुगना देवी धर्मपत्नि हरिनारायण जाति रैगर निवासीः गोनेर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

3. गंगा देवी धर्मपत्नि रामू जाति रैगर निवासीः गोपालपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर।

4. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा माधोराजपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर।

5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

6. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

7. नायब तहसीलदार माधोराजपुरा/उप–पंजीयन माधोराजपुरा उप–तहसील माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

---प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

<u>वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थितः

श्री मनीष मालपाणी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादीगण
श्री सुरेन्द्र कुमार टेलर एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ल. 3

निर्णय दिनांकः 16/11/2017

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण को न्यायालय द्वारा दिनांक 13/06/2017 को इस आशय का प्राथमिक डिक्री किया गया था कि " अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 166 के खसरा नंबर 88, 89, 519 कुल किता 03 कुल रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम डाबिच तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित आराजी का बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर नक्शे व कुरेजात दो–दो प्रति में तैयार कर भिजवाये जाने के तहसीलदार फागी को आदेश दिये जाते है। "

तहसीलदार फागी से नक्शे कुरैजात प्राप्त हुये, शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार टेलर एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 बाबत आपत्ति नक्शे कुरैजात प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। बाद बहस मनन प्रार्थना पत्र धारा 151 बाबत आपत्ति नक्शे कुरैजात आधारहीन होने पर खारिज किया गया।

बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। नक्शे कुरेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नक्शे कुरेजात प्राथमिक डिक्री अनुसार प्राप्त हुये। न्यायहित में

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

तहसीलदार फागी से प्राप्त नक्शे कुरेजात अनुसार वादी वाद स्वीकार कर अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद मुताबिक नक्शे कुरैजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात स्थित ग्राम डाबिच, तहसील फागी जिला जयपुर का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य तकासमा किया जाकर खाता निम्नानुसार अलहदा–अलहदा किया जाता हैः–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1.	नन्दू देवी ध.प. फूलचन्द कौम रैगर सा. नेवटा तह. सांगानेर सुगना देवी ध.प. हरिनारायण कौम रैगर सा. ग्राम गोनेर, तह. सांगानेर हि. बराबर	88/2 89/5 519/4	0.01 0.16 0.06
		3	1.03
2.	भूरी देवी ध.प. राधेश्याम जाति रैगर सा. गोपालपुरा	88/1 89/4 89/3 519/3	0.02 0.16 1.10 0.18
		4	3.06
3.	गंगा देवी ध.प. रामू कौम रैगर सा. गोपालपुरा राहिन एसबीबीजे शाखा माधोराजपुरा	88/3 89/2 519/2	0.01 0.16 0.06
		3	1.03
4.	रामगोपाल पुत्र मांग्या कौम रैगर सा. गोपालपुरा राहिन एसबीआई चाकसू मूर्तहीन	88/4 89/1 519/1	0.04 3.18 1.10
		3	5.12
5.	नन्दू देवी ध.प. फूलचन्द कौम रैगर सा. नेवटा तह. सांगानेर सुगना देवी ध.प. हरिनारायण कौम रैगर सा. ग्राम गोनेर तह. सांगानेर हि. 1/10 भूरी देवी ध.प. राधेश्याम हि. 3/10 बिना रहन गंगादेवी ध.प. रामू हि. 1/10 राहिन एसबीबीजे शाखा माधोराजपुरा रामगोपाल पुत्र मांग्या हि. 1/2 कौम रैगर सा. गोपालपुरा राहिन एसबीआई चाकसू मूर्तहीन	88/5	0.02

उपखण्ड अधिकारी जयपुर फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। सामिलात चाह के उपयोग के लिए समस्त खातेदारान स्वतंत्र रहेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना--अपना स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16/11/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार नागर (आर.ए.एस.)

उनवान

पूरी देवी व अन्य

बनाम

नन्द देवी व अन्य

::– वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 24/2017

आज मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी वाद मुताबिक नक्शे कुरैजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात स्थित ग्राम [illegible], तहसील फागी जिला जयपुर का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के मध्य तकासमा किया जाकर खाता निम्नानुसार अलहदा–अलहदा किया जाता है। राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 1957 के नियम 62 की पालना में खसरा बटा नंबरान को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। शेष विवरण पृष्ठ पर अंकित है।

मिन — मुतालिग — बाबत —
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह — फीसदी — सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक — का अदा करे।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10/11/2017 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

मद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प जर्दी		
स्टाम्प पेशी सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	Nil		फीस कमीश्नर	Nil	
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1	नन्दू देवी ध.प. फूलचन्द कौम रैगर सा. नेवटा तह. सांगानेर सुगना देवी ध.प. हरिनारायण कौम रैगर सा. ग्राम गोनेर, तह. सांगानेर हि. बराबर	88/2 89/5 519/4	0.01 0.16 0.06
		3	1.03
2.	भूरी देवी ध.प. राधेश्याम जाति रैगर सा. गोपालपुरा	88/1 09/4 09/3 510/0	0.02 0.16 1.10 0.18
		4	3.06
3.	गंगा देवी ध.प. रामू कौम रैगर सा. गोपालपुरा राहिन एसबीबीजे शाखा माधोराजपुरा	88/3 09/2 519/2	0.01 0.16 0.06
		3	1.03
4.	रामगोपाल पुत्र मांग्या कौम रैगर सा. गोपालपुरा राहिन एसबीआई चाकसू मूर्तहीन	88/4 09/1 510/1	0.04 3.18 1.10
		3	6.12
5.	नन्दू देवी ध.प. फूलचन्द कौम रैगर सा. नेवटा तह. सांगानेर सुगना देवी ध.प. हरिनारायण कौम रैगर सा. ग्राम गोनेर तह. सांगानेर हि. 1/10 भूरी देवी ध.प. राधेश्याम हि. 3/10 बिना रहन गंगादेवी ध.प. रामू हि. 1/10 राहिन एसबीबीजे शाखा माधोराजपुरा रामगोपाल पुत्र मांग्या हि. 1/2 कौम रैगर सा. गोपालपुरा राहिन एसबीआई चाकसू मूर्तहीन	88/5	0.02

तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। सामिलात चाह के उपयोग के लिए समस्त खातेदारान स्वतंत्र रहेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
फागी